

6.11.18

पतावली पेश हुई। वकील प्रायोगिक रूप।
विधायी 6.2 के वकील उज्ज। वकील कपीकांत/
प्रायोगिक की कदम हाजरी व कदम देरी-में
कपील रगरीज हो चुकी है। कदम प्रायोगिक
का कवेदन में कागज की कार्रवाई का
कोई कोचिस नहीं रहता। प्रायोगिक का
कवेदन इसी स्तर पर निरस्त करने के लिए प्रायोगिक
कवेदन कदम हाजरी व कदम देरी-में जारी
रिपट जारी हो पतावली प्रथम पृष्ठा देखा
जावित सुना हो तबक से यह हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

